

थायालय उपखण्ड न्यायालय एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट घोद मु. सीका
 उनावान पदावीर कनाग राभदेव सिंह
 मुकदमा नं. 2018/00102

20/7/19 (विशेष न्यायिक अधिकारी के कार्यालय में)

20/7/19 वृत्तस्थ जमीनें (हमिल) बंधन रह
 उचित न्याय। उक्त जमीनें (हमिल) विवाद बंधन
 बंधन से 13/09/19 को चेक है।

13/9/19 पत्तावली केस हुई उपखण्ड के अधिकारी
 उप.। बंधन रह उक्त जमीनें (हमिल) बंधन
 डिमा जफ्त पत्तावली वास्ते बंधन डिमा
 23/9/19 को चेक है।

25/9/19 पत्तावली वास्ते बंधन चेक हुई। उपखण्ड के
 अधिकारी उपस्थित बंधन उक्त जमीनें (हमिल) के मुकी
 25/9/19 पत्तावली वास्ते डिमा डिमा 25/10/19
 को चेक है।

22/10/19 पत्तावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।
 उपखण्ड के अधिकारी उपस्थित। पत्तावली
 का बंधन कर किया। उपखण्ड की
 बंधन पर गणन किया। मतः वादी
 का वाद उद्घोषण की शर्तों का
 गयी होने के कारण खारिज किया जाता
 है। तदनुसार निलंबित डिमा जारी
 है। निर्णय प्रथम के लिखवाप
 जाकर शामिल पत्तावली किया जाय।
 पत्तावली केसल शुभ होकर वाद
 तत्काल वारिसल दफ्तार है।



उपखण्ड अधिकारी
 घोद मु. सीका

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठारीन अधिकारी- राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा- राजस्व वाद/58/2018

महावीर प्रसाद बाजिया आयु 43 वर्ष पुत्र चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ग्राम फकीरपुरा तहसील
धोद जिला सीकर

-वादी

ब न म

1. रामदेवसिंह आयु 65 वर्ष पुत्र स्व. केशर
2. दयाराम आयु 62 वर्ष पुत्र स्व. केशर
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
3. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं उद्घोषणा
अ. धा. 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति-

1. श्री राजेश माथुर वकील वादी की ओर से
2. श्री राजेश बेरवाल वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय-

दिनांक- 22.10.2019

01. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम फकीरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा संख्या 208 रकबा 0.04 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीका 1/2 हक व हिस्सा निहित था तथा प्रतिवादी संख्या-2 का उक्त भूमि में 1/2 हक व हिस्सा निहित हैं। वादी ने वादग्रस्त कृषि भूमि मेसे 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या-1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांकित 06/02/2018 को क्रय किया था। वादग्रस्त भूमि में से वादी ने क्रय की दिनांक को ही अपने हक व हिस्से का कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादग्रस्त कृषि भूमि मेसे 1/2 प्रतिवादी संख्या-1 का क्रय करने के पश्चात् भी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के हक को चुनौती देते हैं और उसका हक व हिस्सा भूमि मेसे होने से इन्कार करते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में दिनांक 10/09/2018 को मौके पर किन्ही भूमाफिया लोगो को नाप-जोख करवा रहे थे तो वादी ने उक्त भूमि में अपना 1/2 हक व हिस्सा जताते हुए मौके पर उसका हक व हिस्सा बंटवारा करके सम्भलाये जाने का निवेदन किया ता वे इन्कार हो गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 वादी के क्रयशुदा हक व हिस्से को इन्कार कर रहे हैं। वादी को अपनी क्रयशुदा भूमि के सम्बंध में खातेदारी उद्घोषित करवाने का हक व अधिकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में शामिल की खातेदारी की भूमि है। कानूनन जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि का संयुक्त खातेदारी की भूमि का बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक उसके हर एक इंच पर भी खातेदार व हकदार व्यक्तियों का हक व हिस्सा एवम् कब्जा होने की अवधारणा की जाती है। वादी को अपने हक व हिस्सा क्रयशुदा भूमि 1/2 को बंटवारा करवाकर अलग से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। दिनांक 10/09/2018 को प्रतिवादीगण सं01 व 2 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का नाप-जोख भू-माफिया किस्म के लोगो से करवाये जाने व भूमि को विक्रीत किये जाने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से तथा वादी के रजिस्ट्रैड क्रय-शुदा हक व हिस्से



उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

को होने से अस्वीकार किये जाने से वादकारण उत्पन्न होकर दावा करना लाजिम आया है। दावा श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार व धौत्राधिकार में होने से उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत सादर प्रस्तुत है। अतः वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि वाके ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीक में अवस्थित खसरा नं० 208 रकबा 0.04 हैक्टर के 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काशतकार वादी को उद्घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को विक्रीत, अन्तरित ना करे, तथा गौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

02. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादी का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। जिसमें उल्लेख किया कि उक्त भूमि में 1/2 हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का निहित था, जिसे जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड दिनांकित 06/02/2018 को वादी को बेचान कर दिया है। यह भी सत्य है कि वादग्रस्त भूमि के 1/2 हक व हिस्से पर वादी बहसियत क्रेता काबिज है। उत्तरदातागण ने वादग्रस्त भूमि में से बंटवारा करके वादी को 1/2 हक व हिस्सा अलग से करवाये जाने का विरोध कभी नहीं किया एवम् ना ही भूमि की माप जोख भूमाफियाओं से करवायी एवम् ना ही वादी के हक व हिस्से को कोई चुनोती ही दी है। जब तक वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं हो जाता तब तक भूमि के हर एक इंच तक भूमि के खातेदार व हकदार व्यक्तियों को हक व हिस्सा एवम् कब्जा होने की उपधारणा की जाती है। प्रतिवादी अपनी क्रयशुदा भूमि का बंटवारा करवाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहता है तो उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। बंटवारा होने तक यदि उत्तरदातागण को भूमि विक्रीत किये जाने से व राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिबंधित किया जाता है तो उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर बंटवारा किये जाने में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तरदातागण को नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 29.03.2019 को वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम फकीरपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित खसरा संख्या 2018 रकबा 0.04 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या-1 1/2 हक व हिस्से का खातेदार था जिसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांकित 06/02/2018 को अपनासम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी महावीर प्रसाद बाजिया को विक्रीत कर कब्जा सम्भला दिया था। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या-2 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काशतकारथा जो अभी भी है। जिसे वादी के क्रयशुदा हक व हिस्से से कोई आपत्ति नहीं है और यदि वादीको वादग्रस्त कृषि भूमि में आधे हिस्से की भूमि बंटवारे में अलग से खातेदारी दर्ज करवानी है और अपना रकबा अलग करना है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के पक्ष में आधे हिस्से की भूमि का खातेदार उद्घोषित करने में और अलग से आधी भूमि का नया रकबा बनाया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2को कोई उज्र व आपत्ति नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार हम पक्षकारान ने राजीनामा कर लिया और उपरोक्तानुसार ही निष्पादित कर दिया है। अतः राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जावे।

03. उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने मुताबिक राजीनामा के वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।




Pi 4
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

04. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण में वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2018 के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा की मांग की है, लेकिन विक्रय पत्र के आधार पर उद्घोषाधा की राहत तभी प्रदान की जा सकती है जब अन्य कोई तरीका बचा ही नहीं हों। यथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बहुत ज्यादा पुराना हो, क्रेता व विक्रेता में से किसी भी पक्ष की मृत्यु हो चुकी हो, तत्समय सहवन से या कानून की जानकारी के अभाव में या फ्रेगमेंट का नियम लागू होने के कारण नामान्तरकरण नहीं भरा जा सका हो, क्रेता का तब से लेकर वर्तमान तक खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काशत हों। यह प्रकरण उपर्युक्त वर्णित किसी की श्रेणी में नहीं आता है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नवीन है, जिसके अनुसार क्रेता तहसीलदार को आवेदन देकर नामान्तरकरण दर्ज कराने की राहत प्रदान कर सकता है।

अतः वादी का वाद उद्घोषणा की श्रेणी का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
घाट मु. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official